रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032024-253379
CG-DL-E-26032024-253379

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2024/चैत्र 6, 1945
No. 70] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2024/CHAITRA 6, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2024

मामला संख्याः ओआई-30/2023

विषय : चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान, थाइलैंड तथा संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पीवीसी सस्पेंशन रेजिन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा.सं. 06/33/2023-डीजीटीआर.—कैमप्लास्ट कुड्डालोर विनायल्स लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड तथा डीसीडब्ल्यू लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने 1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे ''एडी नियमावली 1995'' भी कहा गया है) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान, थाइलैंड तथा संयुक्त राज्य अमरीका (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पीवीसी सस्पेंशन रेजिन" (जिसे यहां आगे ''संबद्ध वस्तु'' अथवा ''विचाराधीन उत्पाद'' भी कहा गया है) के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और उचित पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है ।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपॉलीमर (सस्पेंशन ग्रेड) है जिसे पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के रूप में भी जाना जाता है। संबद्ध वस्तु के के मामले में, विभिन्न पॉलिमर श्रृंखलाएं एक-दूसरे से जुड़ी नहीं हैं। विचाराधीन उत्पाद को "पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) रेजिन", "सस्पेंशन ग्रेड" या "पीवीसी सस्पेंशन रेजिन" के रूप में भी जाना जाता है।

4. बल्क मास पोलीमराइजेशन, इमल्शन पोलीमराइजेशन और माइक्रो सस्पेंशन पोलीमराइजेशन प्रक्रिया के जरिए विनिर्मित निर्मित पीवीसी रेजिन विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है। पीवीसी रेजिन के निम्नलिखित प्रकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से हैं:

i. क्रॉस-लिंक्ड पॉली विनाइल क्लोराइड

ii. क्लोरीनेटेड पॉली विनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी)

iii. विनाइल क्लोराइड विनाइल एसीटेट कॉपोलीमर (वीसी-वैक)

iv. पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन

v. मास पॉलिमराइजेशन पीवीसी

vi पॉली विनाइल क्लोराइड ब्लेंडिंग रेजिन

5. पीवीसी सस्पेंशन रेजिन को सस्पेंशन पोलीमराइजेशन तकनीक के प्रयोग से उत्पादित किया जाता है । संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए, विनाइल क्लोराइड मोनोमर ("वीसीएम") को पोलीमराइजेशन की प्रक्रिया के जरिए विनाइल पॉलिमर में बदला जाता है । वीसीएम को या तो एथिलीन डाइक्लोराइड ("ईडीसी") के प्रयोग द्वारा या कैल्शियम कार्बाइड ("कार्बाइड") के प्रयोग द्वारा उत्पादित किया जाता है। एथिलीन पद्धति तथा कार्बाइड पद्धति से उत्पादित पीवीसी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल है।

6. पीवीसी सस्पेंशन रेजिन को आमतौर पर पाइपो और फिटिंग, फ्लेक्सिबल होज, फिल्म/शीट, बोतल, प्रोफाइल, वायर और केबल, फुटवियर आदि विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है।

7. संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की अनुसूची-I के अध्याय 39 के अंतर्गत सीमाशुल्क वर्गीकरण 3904 10 20 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद को एचएस कोडों 3904 10 90, 3904 21 00, 3904 10 10, 3904 22 00, 3904 90 10, 3904 90 90, 3904 30 00 और 3904 21 10 के तहत भी आयातित किया जा रहा है। तद्नुसार, चार अंकीय स्तर पर एच एस कोड अर्थात 3904 पर वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है । यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. वर्तमान जांच के पक्ष विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कर सकते हैं और जांच शुरू होने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर पीसीएन (उचितीकरण के साथ), यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. संबद्ध देश

9. वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमरिका हैं।

ग. समान वस्तु

10. आवेदकों ने बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इन दोनों उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं । इस प्रकार,

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देशों से आयातित किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है ।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

11. आवेदकों ने 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 (9 महीने) का जांच अवधि के रूप में प्रस्ताव किया है । आवेदकों ने दावा किया है कि 9 महीने की जांच की अवधि वर्तमान जांच के लिए उचित है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का पाटन 2022-23 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2022) में तीव्र हो गया है । तदनुसार, यह आवेदन जांच अवधि पर उस समयावधि के रूप में विचार करते हुए प्रस्तुत किया गया है जिसमें भारत में पाटन शुरू हुआ था और यह अवधि आंकड़ों के उपलब्ध होने की अद्यतन अवधि तक थी ।

12. तदनुसार, प्राधिकारी ने 1 अक्टूबर 2022 - 30 सितंबर 2023 पर जांच की अवधि के रूप में विचार किया है। क्षति जांच में 2020-21, 2021-22, 2022-23 की अवधि और जांच की अवधि शामिल होगी।

ङ. घरेलू उद्योग

13. यह आवेदन केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने जांच की अवधि के दौरान न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं।

14. भारत में संबद्ध वस्तु के दो और उत्पादक हैं, अर्थात् फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैं। उन्होंने वर्तमान आवेदन का समर्थन या विरोध नहीं किया है । इसके अलावा, आवेदकों ने दावा किया है कि उक्त उत्पादक जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में शामिल भी हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि ऐसे उत्पादकों को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग नहीं माना जाना चाहिए।

15. किसी भी तरह, यदि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार दो उत्पादकों को पात्र माना भी जाता है, तो भी आवेदकों के उत्पादन का भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। अत:, प्राधिकारी ने आवेदकों अर्थात केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड को नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के तहत घरेलू उद्योग माना है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है ।

च. कथित पाटन का आधार

<u>चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

16. आवेदकों ने बताया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और यह कि चीन जन.गण. से उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाए कि इस उद्योग में संबद्ध के उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि बाजार अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति मौजूद है, तब तक उनके सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध- **I** के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित करना चाहिए।

17. अत:, जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ, सामान्य मूल्य को आवेदक की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर उसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के साथ विधिवत रूप से समायोजित करके परिकलित किया गया है।

<u>इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका के लिए सामान्य मूल्य</u>

18. आवेदकों ने दावा किया है कि उन्होंने इन देशों में प्रत्यक्ष बिक्री कीमत के आधार पर संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए थे, तथापि, उन्हें इसका कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया था । इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद को सभी सभी प्रमुख स्रोतों से भारत में पाटित किया जा रहा है और इसलिए, भारत में आयातों पर विचार नहीं किया जा सकता है। विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई कोई समर्पित कोड नहीं है, इसलिए, ऐसे देशों से अन्य देशों को निर्यात पर आधारित सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है। अत:,

आवेदकों ने आवेदकों की उत्पादन लागत को तर्कसंगत मार्जिनों के साथ विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य परिकलित करने का प्रस्ताव किया है।

19. जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने आवेदकों की उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके इसके आधार पर इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रथम दृष्टया सामान्य मूल्य निर्धारित किया है ।

निर्यात कीमत

20. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का अनुमान डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर आधारित सीआईएफ कीमतों पर विचार करते हुए लगाया गया है। इसके अलावा, कारखाना द्वार स्तर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समायोजनों को ध्यान में रखा गया है:

क) समुद्री माल भाड़ा;

ख) समुद्री बीमा;

ग) कमीशन;

घ) बैंक प्रभार

ड.) पत्तन व्यय; और

च) अंतर्देशीय माल भाड़ा

पाटन मार्जिन

21. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथमदृष्टया सिद्ध करती है कि पाटन मार्जिन संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक है । इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है ।

छ. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

22. आवेदकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है । आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से काफी अधिक वृद्धि हुई है । संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में आधार वर्ष की तुलना में 2021-22 में वृद्धि हुई है और उसके बाद 2022-23 और पीओआई में गिरावट आई है, बिक्री कीमत में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कहीं अधिक गिरावट आई है। इस प्रकार, आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण और ह्रास किया है। यद्यपि, घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में वृद्धि हुई है, परंतु घरेलू उद्योग और समग्र रूप से भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में 2021-22 से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है, और उसे जांच की अवधि के दौरान वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है। घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नकद लाभ और निवेश पर आय में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा, आयातों ने पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है और संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

23. अत:, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं, जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं।

ज. शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना

24. आवेदकों ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने का अनुरोध किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि निम्नलिखित के कारण पूर्वव्यापी रूप से शुल्क लागू करना आवश्यक है:

क. संबद्ध देशों से भारत में उत्पाद के पाटन का स्पष्ट इतिहास है। चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमरिका से आयात 23 जनवरी 2008 से 9 फरवरी 2022 की अवधि तक पाटनरोधी शुल्क के अधीन रहे थे।

ख. भारत में आयातक इस तथ्य को जानते हैं कि निर्यातक भारत में उत्पाद का पाटन करते हैं। जैसे ही संबद्ध वस्तु के आयातों पाटनरोधी शुल्क समाप्त हुआ, आयातों की मात्रा में 2022-23 में 65% वृद्धि हुई है।

ग. घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच की अवधि के दौरान तेजी से गिरावट आई है क्योंकि उसे वित्तीय घाटा और नकद घाटा हुआ है। घरेलू उद्योग वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय नहीं कमा पाया है । यदि पाटनरोधी शुल्क तत्काल नहीं लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग का पूंजी निवेश बेकार होने की संभावना है।

25. हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में दी गई समय सीमा के अनुसार इस संबंध में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

झ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

26. आवेदकों द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, संबद्ध वस्तु के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं ।

ञ. प्रक्रिया

27. एडी नियमावली, 1995 के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा ।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

28. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

29. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली,1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

30. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

32. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की अधिकारिक वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ठ. समय सीमा

33. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के आवेदन के अगोपनीय अंश को परिचालित किए जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को भेजे जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली,1995 के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

34. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूसचना में यथानिर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

35. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

36. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के ए डी नियमावली के नियम 7 (2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

37. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

38. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

39. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो)और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।

40. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है और एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए ।

41. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज़ अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पार्टियाँ द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं ।

42. सार्थक अगोपनीय अंश या ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयाता के संबंध में पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी गोपनीय अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा ।

43. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

44. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

45. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें ।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

46. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें । अनुरोधों/उत्तर/सूचना के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है ।

ण. असहयोग

47. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत समयावधि के भीतर या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2024

Case No. OI (30/2023)

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of 'PVC Suspension Resins' originating in or exported from China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and the United States of America.

F. No. 6/33/2023-DGTR.—An application has been filed by Chemplast Cuddalore Vinyls Limited, DCM Shriram Limited and DCW Limited (hereinafter referred to as the 'applicants'), before the Designated Authority, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the 'Act') as amended in 1995 and thereafter, and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'AD Rules, 1995'), for the initiation of an anti-dumping investigation and imposition of appropriate anti-dumping duty on imports of "PVC Suspension Resins" (hereinafter referred to as the 'subject goods' or the 'product under consideration') originating in or exported from China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and the United States of America. (hereinafter referred to as the 'subject countries')

2. The applicants have alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the alleged dumped imports, originating in or exported from the subject countries and have requested for imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject countries.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration is Homopolymer of Vinyl Chloride Monomer (suspension grade) also known as PVC Suspension Resin. In case of the subject goods, various polymer chains are not linked to each other. The product under consideration is also known as "Poly Vinyl Chloride (PVC) Resin", "Suspension Grade" or "PVC Suspension Resin".

4. PVC Resins manufactured through bulk mass polymerization, emulsion polymerization and micro suspension polymerization process are excluded from the scope of the product under consideration. The following types of PVC resins are specifically excluded from the scope of the product under consideration:

i. Cross-linked Poly Vinyl Chloride

ii. Chlorinated Poly Vinyl Chloride (CPVC)

iii. Vinyl Chloride Vinyl Acetate Copolymer (VC-Vac)

iv. Poly Vinyl Chloride Paste Resin

v. Mass Polymerisation PVC

vi. Poly Vinyl Chloride Blending Resin

5. PVC Suspension Resins are produced using suspension polymerization technology. In order to produce the subject goods, Vinyl Chloride Monomer (“VCM”) is converted into Vinyl Polymer through polymerization process. VCM is either produced using ethylene dichloride (“EDC”) or by using Calcium Carbide (“Carbide”). PVC produced vide ethylene route as well as carbide route is included within the scope of the product under consideration.

6. PVC Suspension Resins are commonly used in manufacturing various products like pipes and fittings, flexible hoses, films/sheets, bottles, profiles, wire and cables, footwears, etc.

7. The subject goods are classified under Chapter 39 of Schedule I to the Customs Tariff Act, 1975 under the Customs classification 3904 10 20. However, the product under consideration is also being imported under HS Codes 3904 10 90, 3904 21 00, 3904 10 10, 3904 22 00, 3904 90 10, 3904 90 90, 3904 30 00 and 3904 21 10. Accordingly, HS code at 4-digit level, that is, 3904 has been considered for the purpose of the present investigation. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

8. The parties to the present investigation may provide their comments on the product under consideration and propose PCNs (with justification), if any, within 15 days of circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation.

B. SUBJECT COUNTRIES

9. The subject countries for the present anti-dumping investigation are China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and the United States of America.

C. LIKE ARTICLE

10. The applicants have stated that there are no significant differences in the product produced by the domestic industry and that exported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification. The applicants have claimed that the two are technically and commercially substitutable and the consumers are using both the products interchangeably. Thus, for the purposes of the present investigation, the product produced by the domestic industry has been considered as like article to the product being imported from the subject countries.

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

11. The applicants have proposed 1st October 2022 to 30th June 2023 (9 months) as the period of investigation. The applicants have claimed that the period of investigation of 9 months is appropriate for the present investigation as dumping of the product under consideration intensified in the third quarter of 2022-23 (Oct-Dec 2022). Accordingly, the application has been filed considering the period of investigation as time period from which dumping started in India till the latest period for which the data was available.

12. However, the Authority has considered 1st October 2022 – 30th September 2023 as the period of investigation. The injury investigation shall cover the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.

E. DOMESTIC INDUSTRY

13. The application has been filed by Chemplast Cuddalore Vinyls Limited, DCM Shriram Limited and DCW Limited. The applicants have neither imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation nor are they related to any other producer/exporter of subject goods in the subject countries or any importer in India.

14. There are two more producers of the subject goods in India that is, Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited. They have neither supported nor opposed the present application. Further, the applicants have claimed that the said producers are also involved in importing the product under consideration in India from the subject countries during the period of investigation. The applicants have claimed that such producers are should not be considered eligible to constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.

15. In any case, even if the two producers are considered eligible, as per the evidence available on record, the production of the applicants accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India. Therefore, the Authority has considered the applicants i.e. Chemplast Cuddalore Vinyls Limited, DCM Shriram Limited and DCW Limited as domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

Normal Value for China PR

16. The applicants have submitted that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.

17. Therefore, for the purpose of initiation of the investigation, the normal value has been constructed based on the estimates of the cost of production of the applicant duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

Normal Value for Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and the United States of America.

18. The applicants have claimed that they had made efforts to determine the normal value for subject countries on the basis of direct selling price in these countries, however, they were not able to find any evidence of the same. Further, the product under consideration is being dumped in India from all major sources and hence, imports into India cannot be considered. There is no dedicated codes for the product under consideration, hence, it was not possible to determine normal value based on exports from such countries to other countries. The applicants have, therefore, proposed to compute the normal value for the subject countries based on the cost of production of the applicants, duly adjusted and with reasonable margins.

19. The Authority, for the purpose of initiation, has prima facie determined the normal values for Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and the United States of America on the basis of cost of production of the applicants duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

Export Price

20. The export price of the subject goods from the subject countries has been estimated by considering CIF prices based on the DGCI&S data. Further, the following adjustments have been taken into account to arrive at the ex-factory level:

a) Ocean freight;

b) Marine insurance;

c) Commission;

d) Bank charges

e) Port expenses; and

f) Inland freight

Dumping Margin

21. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie establishes that the dumping margin is above the de minimis level and is significant with respect to the product under consideration imported from the subject countries. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the domestic market by the exporters from the subject countries.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

22. The applicants have provided prima facie evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry. The information submitted by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have claimed that the volume of subject imports has increased significantly in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry. The cost of sales as well as the selling price of the domestic industry increased in 2021-22 as compared to the base year and declined thereafter in 2022-23 and the POI, the selling price has declined much more than the cost of sales of the domestic industry. Thus, the imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry. While the volume parameters of the domestic industry have shown an increase, the market share of the domestic industry and the Indian industry as a whole has declined since 2021-22. The profitability of the domestic industry has deteriorated, and it has incurred financial losses during the period of investigation. The cash profits and return on investment earned by the domestic industry have declined significantly. Further, the imports have adversely affected the ability of the domestic industry to raise capital investments and the dumping margin for the subject countries are positive and significant.

23. Therefore, there is sufficient prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject countries to justify the initiation of an anti-dumping investigation.

H. RETROSPECTIVE IMPOSITION OF DUTIES

24. The applicants have requested for retrospective imposition of the anti-dumping duty on imports of product under consideration from the subject countries. The applicants have claimed that retrospective imposition is necessary due to the following:

a. There is clear history of dumping of the product in India from the subject countries. Imports from China PR, Indonesia, Japan, South Korea, Taiwan, Thailand and United States of America were subject to anti-dumping duty from a period from 23rd January 2008 till 9th February 2022

b. The importers in India are aware of the fact that exporters practice dumping of the product into India. As soon as the anti-dumping duty on imports of the subject goods expired, the volume of imports has increased by 65% in 2022-23.

c. The performance of domestic industry has steeply declined during the period of investigation as it has suffered financial losses as well as cash losses. The domestic industry has not been able to earn enough to service its financial obligations. The capital investment of the domestic industry is likely to be eroded in case anti-dumping duty is not imposed immediately.

25. The interested parties may offer their comments in this regard as per time limit given in this notification.

I. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

26. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicants and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by the applicants concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the subject goods and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping dug, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

J. PROCEDURE

27. The provisions stipulated in Rule 6 of the AD Rules, 1995 shall be followed in the present investigation

K. SUBMISSION OF INFORMATION

28. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

29. The known producers/exporters in the subject countries, the Governments of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.

30. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

31. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

32. Interested parties are further directed to keep regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well further processes related to the investigation.

L. TIME LIMIT

33. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

34. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

35. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

36. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

37. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allows other interested parties to inspect such submissions.

38. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

39. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked-out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

40. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

41. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days of the receipt of the non-confidential version of the documents.

42. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

43. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

44. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

45. A list of the registered interested parties will be uploaded on the DGTR’s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to other interested parties.

N. INSPECTION OF PUBLIC FILE

46. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate nonconfidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested parry as non-cooperative.

O. NON-COOPERATION

47. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.26 23:18:48 +05'30'